न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 130/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. करणवीर सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. एर्षदीप सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— वादीगण

वनाम

1. नसीब कौर पत्नी श्री बंत सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. बलतेज सिंह पुत्र श्री बंत सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अंग्रेज सिंह पुत्र श्री बंत सिंह जाति जटसिख निवासी 23, जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरप्रीत कौर पुत्री श्री बंत सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. संदीप कौर पुत्री श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड तहसील —— व जिला श्रीगंगानगर।
6. रमनदीप कौर पुत्री श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड — तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित—	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	अधिवक्ता श्री रोबिन कुमार गुम्बर	(प्रतिवादी–1 ता 6)
	पैरोकार राज	(प्रति.–7)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.03.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से वाके चक 23 जैड पटवार हल्का साहिबसिंहवाला भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 की कुल 3.200 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व, इसी चक 23 जैड पटवार हल्का साहिबसिंहवाला भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 4.465 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को बतौर जददी जायदाद प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पति है। उक्त सम्पति पैतृक सम्पति होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ जन्म से हक वा हिस्सा बनता है। प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण के साथ करके घरू बंटवारानुसार वादी संख्या 1 करणवीर सिंह को चक 23 जैड तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1/1(0.228), 1/2(0.025), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 19(0.002) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 20/2(0.126), 21(0.152), 22(0.253), 23(0.101) कुल 0.632 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.232 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व वादी संख्या 2 हरदीप सिंह को मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 4/1(0.228), 4/2(0.025), 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6/1(0.164), 14(0.253), 17(0.253), 22(0.253), 19(0.171) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 23(0.152), 24(0.253), 25(0.228) कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.233 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दी हुई है जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है तथा उन्होने उक्त भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादीगण को देने का कहा हुआ है। वादीगण उक्त भूमि में काश्त कर रहे है तथा मौका पर उक्त भूमि में वादीगण की फसलें खड़ी है। प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगी। यह कि कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीया संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीया संख्या 1 टाल मटोल करती रही तथा दिनांक 10.10.2020 को प्रतिवादीया संख्या 1 ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण को हक व न्याय नही देना चाहती है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जद्दी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त हालातों मे उक्त जद्दी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। यह कि उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीया निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(1) यह कि वाद पत्र में वर्णित चक 23 जैड की कृषि भूमि में से वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि दिलाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 1 व 2 एम प्रतिवदी संख्या 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 06.01.2021 को राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:– 1. वादी संख्या 1 करणवीर सिंह को चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1/1(0.228), 1/2(0.025), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 19(0.002) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का व चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 20/2(0.126), 21(0.152), 22(0.253), 23(0.101) कुल 0.632 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.232 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का व वादी संख्या 2 हरदीप सिंह को चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 4/1(0.228), 4/2(0.025), 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6/1(0.164), 14(0.253), 17(0.253), 22(0.253), 19(0.171) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खाला कृषि भूमि का व चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 23 (0.152), 24(0.253), 25(0.228) कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.233 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। यह कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 अपनी स्वेच्छा से, प्राकृतिक स्नेहवश उक्त पैतृक भूमि में से कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में करते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 23 जैड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 44/34, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 23 जैड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 45/32, वादीगण द्वारा विरासतन साक्ष्य के रूप में जमाबंदी ग्राम 23 जैड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 172/41, जमाबंदी ग्राम 23 जैड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 176/41 की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

वादी संख्या 1 करणवीर सिंह को चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1/1(0.228), 1/2(0.025), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 19(0.082) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का व चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 20/2(0.126), 21(0.152), 22(0.253), 23(0.101) कुल 0.632 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.232 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का व वादी संख्या 2 हरदीप सिंह को चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/34 का मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 4/1(0.228), 4/2(0.025), 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6/1(0.164), 14(0.253), 17(0.253), 22(0.253), 19(0.171) कुल 1.600 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का एवम् चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/32 का मुरब्बा नम्बर 13 का किला 23 (0.152), 24(0.253), 25(0.228) कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 2.233 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार

उपखण्ड अधिकारी (लो.अ.सि.)
श्रीगंगानगर

रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.03.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर